

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2023

जयपुर, दिनांक :

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 11.09.2023 के द्वारा डा. रामराय शर्मा, उप निदेशक (सर्जरी) जो वर्तमान में राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर (शिफु) में रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थापित है, का चयन सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में सीनियर रेजिडेन्ट के पद पर हो जाने के फलस्वरूप डा. शर्मा को शिफु से तुरन्त प्रभाव से निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर के कार्यालय हेतु कार्य मुक्त किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

उक्त आदेश में सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर के स्थान पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर संशोधित कर पढा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निमिषा गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग एवं पंचायती  
राज (चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर
6. निदेशक, राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर
7. कम्प्यूटर सेल / निजी / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Nimsha Gupta  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2023.09.11 16:38:57 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4695588

